**भारत सरकार**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्‍कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

राज्‍य सभा

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 2025

उत्‍तर देने की तारीख: 28 जुलाई, 2014

**पीपीपी पद्धति के तहत विद्यालयों की स्थापना**

**2025. श्रीमती कानीमोझीः**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकारी-निजी भागीदारी (पीपीपी) पद्धति के तहत विद्यालयों की स्थापना करने का

प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना की स्थिति सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे विद्यालयों में केन्द्रीय विद्यालयों के समतुल्य सभी सुविधाएं और संसाधन होंगे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्‍तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्री**

**(श्रीमती स्‍मृति ज़ूबिन इरानी)**

(क): मॉडल स्‍कूल योजना में सार्वजनिक-निजी भागीदारी पद्धति के तहत वे ब्‍लॉक जो शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े नहीं हैं, में 2500 स्‍कूल स्‍थापित करने का विचार है।

(ख): योजना की सार्वजनिक-निजी भागीदारी पद्धति में कोई स्‍कूल नहीं दिया गया है।

(ग) और (घ): योजना में व्‍यवस्‍था है कि मॉडल स्‍कूल में कम-से-कम उसी स्‍तर की अवसंरचना और सुविधाएं होंगी जैसी केन्‍द्रीय विद्यालयों में होती हैं जिनमें छात्र- कक्षा अनुपात, छात्र-शिक्षक अनुपात, सूचना संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग आदि शामिल हैं।

\*\*\*\*\*